I/निगरानी/दतिया/भू०रा०/2017/4295

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क /2017/ निगरानी

श्री कृष्ण गुगोरिया पुत्र श्री राधेश्याम गुगोरिया निवासी स्टेशन रोड दतिया म0प्र0

—प्रार्थी

बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम रीजनल मैनेजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई द्वारा प्रोपराईटर राजेन्द्र अग्रवाल प्रोपराईटर श्री रतन ऑटो फिलिंग स्टेशन जिला दतिया म0प्र0 निवासी भटियारा मोहल्ला बडा बाजार दतिया म0प्र0

—प्रतिप्रार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. -11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प०दि० 10-11-17

10.11.17

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2017 द्वारा पारित जिला मजिस्ट्रेट दतिया प्रकरण कमांक क्यू आर्म्स/9–5/पे.पं.एन.ओ.सी/2017/1864–3</u>

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

कमशः 02

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – I / निग0 / भू0रा0 / दतिया / 2017 / 4295

श्रीकृष्ण गुगोरिया / हिंदुस्तान पैट्रोलियम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–4–2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0एम0 गुप्ता उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया। 2/ आवेदक की ओर से यह निगरानी जिला मजिस्ट्रेट दतिया के प्रकरण कमांक क्यू आर्म्स / 9–5 / पे.पं.एन.ओ.सी. / 2017 / 1864–3 में पारित आदेश दिनांक 07–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पेट्रोल पम्प आवंटन संबंधी आदेश है। प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 22/4/19 सदस्य	